



मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR

F.No. GCCO/RTI/APP/1244/2023 -LEGAL

Dated .06.2023

To

The CPIO,
CGST Commissionerate,
Jaipur.

Sir,

Subject: - Transfer of RTI application dated 06.06.2023 filed by Sh. Mahendra Kumar Chejara, Near Main Water Tank, Mukundgarh, Jhunjhunu, Rajasthan – 333705 under Section 6(3) of RTI Act, 2005 - reg.

Please find enclosed herewith RTI application dated 06.06.2023 along with IPO No. 60F 486695 (in original) received in this office on 09.06.2023 filed by Sh. Mahendra Kumar Chejara, Near Main Water Tank, Mukundgarh, Jhunjhunu, Rajasthan - 333705 for providing information under the RTI Act, 2005.

The information sought in the aforesaid RTI application, appears to be related to your office. Therefore, the above mentioned RTI application is being transferred along with IPO No. 60F 486695 (in original) under Section 6(3) of RTI Act, 2005. It is requested to provide the required information directly to the applicant under RTI Act, 2005, subject to the provisions of RTI Act & Rules made there under.

It is also requested that in case, the requisite information is not held by you and pertains to another public authority, the RTI applications may please be transferred to the concerned public authority under section 6(3) of the RTI Act, 2005.

Encl: -As above.

Yours faithfully,

**Signed by Ram Kishan
Bairwa**

Date: 14-06-2023 18:51:36

Reason: Approved

(Ram Kishan Bairwa)
CPIO & Assistant Commissioner

Copy to:-

1. Sh. Mahendra Kumar Chejara, Near Main Water Tank, Mukundgarh, Jhunjhunu, Rajasthan – 333705 with the request to make all future correspondence in the matter with the above CPIOs to whom the RTI applications has been transferred under section 6(3) the RTI Act, 2005.

श्रीमान केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
 ओफिस ऑफ प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर,
 एन. सी. आर. बिल्डिंग,
 स्टेट्यू सर्किल के पास,
 पौ: जयपुर 302005

विषय :- सूचनाओं के लिए आवेदन, (कर-चोरी वसूली के बारे में)
 महोदय,



आपको उपरोक्त आवेदन आर.टी. आई. शूट की धारा 6(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत है कि आप निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं।

(1) आपको शिकायत की प्रतिलिपि प्रस्तुत है, उपरोक्त शिकायत पर प्रस्तुत की गई तिथि से दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक माह जो कार्यवाही की गई, कार्यवाही की प्रतिलिपि रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

(2) सी. जी. एस. टी. नं. 08AAACX16458120 के अन्तर्गत 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2020 तक कितनी राशि का CGST एवं SGST टैक्स - जमा कराया गया विवरण प्रत्येक वर्ष का अलग-अलग उपलब्ध कराएं।

(3) 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक वर्ष कितने मोबाइल विक्रय किये गये, मोबाइलों का प्रत्येक वर्ष का संख्या विवरण उपलब्ध कराएं।

सूचनाएं समय सीमा में उपलब्ध कराएं।

संलग्न
 आर.टी. आई.
 क्रमांक - 60F 486685
 राशि - 10 रु.
 शिकायत पत्र - 1 पृष्ठ

आवेदक
 महेश कुमार चेंजारा
 पानी की टंकी के पास,
 पौ: - मुकुन्दगढ़ - 333705
 जिला - मुकुन्दगढ़ (राज.)

Sign. Hall

MOB. 7976015798

Email. Kumar.mahendra7@gmail.com

श्रीमती सुविता बिज,

उपर उपरोक्त

जी. जी. एच. डी. हाथुन्ताबाग

जयपुर

दिनांक 11-12-2017

वि. यौ. लया आ. नं. 11
वि. यौ. लया नं. 11
(कर अध्यायना)
11 DEC 2017
प्रति य.

विषय :- सर्विस टैक्स वचना (चौरी) के बारे में,

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वीत इस पत्र के साथ में

कुछ कागजात प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनमें उपलब्ध सूचनाओं
था दशाति है कि नोर्दन रेल्वे बीकानेर डिविजन
में बहुत से लोगों एवं कम्पनियों से विभिन्न क्रोडिंग
अनुमति देकर जमीन का किराया लिया गया है
जिस पर सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है

- (1) उपरोक्त सभी दस्तावेज कुल 506 फाइलों का
विवरण है. उपरोक्त में अधिकतम लिया गया किराया
44 लाख के लगभग तक है, उपरोक्त फाइलों के विवरण
में से 3 फाइलों की रैनडम जांच की गई है लेकिन
506 फाइलों में ही गई अनुमति में किसी भी अनुमति
पर सर्विस टैक्स का चार्ज नहीं किया गया है
- (2) इसी प्रकार की ही गई सभी अनुमति में जयपुर
डिविजन, उत्तर पश्चिम रेल्वे द्वारा सर्विस टैक्स का
चार्ज किया गया है जिसका विवरण संलग्न है।
- (3) आप से निवेदन है कि उत्तर पश्चिम रेल्वे, बीकानेर
डिविजन द्वारा जो सर्विस टैक्स नहीं चुकाया गया
है उसकी वसूली करे और सूचना देने की एवज में
मुझे इनफोरमर के रूप में रिवाइ किया जाये।

भवदीय

महेन्द्र कुमार-चेजारा

वाडि नं. 18.

पो. मुकुन्दगट- 333705

जिला- मुकुन्द (राजस्थान)

शे. नं. 164

दिनांक 11-12-2017

Handwritten signature

दश टिका दश टिका दस शिखा कडु 000000 100/05 1000 00 दहा रुपये 00 0000 दस रुपटे दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



PAY TO Pay & Accounts officer
Office of Principal Chief Commissioner
of CGST & Customs को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

Jaipur

के डाकघर में अदा करें।

Mahendra Kumar chejara
Near Main water tank
Meeranagarh - 333705

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

60F 486695

पुस्तक कुशाभा 33 0000000 100/05